फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ली-फाई पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वर्णन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वाद ग्राम खिलाची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता सं. 84 की भूमि आ.ख.नं. 415, 416 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.72 है. के सम्बन्ध राजस्व खाता सं. 233 की भूमि आ.ख.नं. 524, 525, 526/1745 कुल रकबा किता 3 कुल रकबा 0.06 है., राजस्व खाता सं. 238 की भूमि आ.ख.नं. 412, 419 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.42 है. तथा राजस्व खाता सं. 126 की भूमि आ.ख.नं. 401, 402, 409, 414, 417, 418, 421, 422, 423/1761, 526/1546 531, 533 ता 539, 587/1747 कुल रकबा किता 19 कुल रकबा 4.33 है. के सम्बन्ध में हिन्दू संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत [illegible] विधिक हक अधिकार की घोषणा [illegible] में अपने पिता [illegible] के विरुद्ध [illegible] उल्लेखित भूमि [illegible] भूमि है। जो प्रार्थी के पिता [illegible] को अपने पिता (प्रार्थी के दादा) से प्राप्त हुई है। जिससे पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का अपने जन्म से ही उक्त भूमि में हक अधिकार निहित है तथा प्रार्थी

P.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

गीता लक्ष्मण व अन्य

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 28/2024 (टी.आर.)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/5/25	अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। अप्रार्थी - 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का भी हस्तांतरण जरिये उपहार पत्र अप्रार्थीगण 02 ता 04 के हक में दिनांक 26.02.24 को कर दिया गया जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके विधिक हक अधिकार की भूमि से बेदखल कर वंचित करने पर आमादा है। तथा भूमि के अन्यत्र विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिसमें यदि अप्रार्थीगण सफल हो गए तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित कर देंगे। जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी तथा वाद बहुलता बढ़ेगा। जिस बाबत प्रार्थी द्वारा अपने विधिक अधिकारों की घोषणार्थ दावा प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है एवं प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व संतुलन सुविधा प्रार्थी के पक्ष में प्रदर्शित है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तात्कालिक मुलवाद जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि वे उल्लेखित भूमि [illegible] मौका व राजस्व रिकार्ड की [illegible] बनाए रखे तथा प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे तथा प्रार्थीया को उसके कब्जे वाहत के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करें

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:29 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

गीता बनाम लक्ष्मण व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 28/2024 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/5/25	हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति दिनांक 25/06/24 व एक 01 वर्ष की अवधि व्यतीत होने लगभग व उपरान्त भी प्रार्थनापत्र द्वारा जरूरी व उपरान्त भी ली. आई. का किसी मान्य व सक्षम स्तर पर कोई औपचारिक संकेत मांगा नहीं किया गया है। इसके भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के कथन / अपेक्षित अतिरिक्त मूलवाद में प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता के अधीन विषय है। जिसके मूल प्रकरण का निस्तारण दस्तावेज की विस्तृत साक्ष्य के अधीन किया जना अपेक्षित है परन्तु न्यायहित व वादग्रस्तता के दृष्टिगत भूमि व वादग्रस्तता को संरक्षित रखा जाना भी न्यायहित व आवश्यक है। जिससे अपरिचित व आवश्यक है। जिससे वक्त किसी प्रकार की कोई उत्पन्न भी एकमात्र भी अप्रार्थी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत भी नहीं की गई है। अतः न्यायहित व वादग्रस्तता के दृष्टिगत तथा किसी मान्य / सक्षम आपत्ति के अभाव के आधार पर प्रार्थनापत्र अस्वीकार [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को मु[illegible] के निस्तारण तक [illegible] निम्नधारा से [illegible] कि वे वादि ग्राम [illegible] आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आ.स्व.नं. 415, 416 कुल रकबा जिला 2 कुल रकबा 0.72 है. आराजी खसरा नं. 514, 525, 526/1745 कुल खसरा जिला 3	

P.T.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

गीता बनाम लक्ष्मण व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 28/2024 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/5/25	कुल रकबा 0.06 है., राजस्व खाता सं. 238 की भूमि आ.स्व.नं. 412, 419 कुल खसरा जिला 2 कुल रकबा 0.42 है., तथा राजस्व खाता सं. 126 की भूमि आ.स्व.नं. 401, 402, 409, 417, 414, 418, 421, 422, 423/1761, 526/1546, 531, 533 ता 539, 587/1747 कुल खसरा जिला 19 कुल रकबा 4.33 है. का बेचान, हस्तांतरण आदि ना करें तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें एवं प्रार्थी को उनके कब्जा काश्त व उपभोग उपयोग में बाधा बाधित ना करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पृथक से दूसरा दोफर्दी नम्बर से कम है। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:29 IST
Reason: SelfAttested